<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हापुड़।</u>

उपस्थितः साक्षी गर्ग, (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

कम्प्यूटर नं० 1210/2017

वाद सं. 1813/2017

मु०अ०सं० 119/2017

अन्तर्गत धारा 354 ख/504/506 भा०दं०सं०

थाना-धौलाना, जिला- हापुड़।

उ०प्र० राज्य

बनाम

1. कैलाश पुत्र दोजी आयु करीब 22 वर्ष
2. रवि पुत्र बलराम आयु करीब 21 वर्ष
3. संदीप पुत्र धर्मपाल आयु करीब 24 वर्ष

उपरोक्त निवासीगण ग्राम ढोमा टीकरी, थाना धौलाना, जिला हापुड़।

<u>निर्णय</u>

पुलिस थाना धौलाना द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण कैलाश, रवि व संदीप का विचारण मु०अ०सं० 119/2017 अंतर्गत धारा 354 ख/504/506 भा०दं०सं० में किया गया।

अभियोजन पक्ष का केस संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थनी किरन पुत्री सोमवीर निवासी वासतपुर, थाना धौलाना, जिला हापुड़ की रहने वाली है। प्रार्थनी डोमा टीकरी स्टैण्ड पर बस की वाट में खड़ी थी। इस बीज कैलाश पुत्र दोजी निवासी डोमा टीकरी, थाना धौलाना, जिला हापुड़ का रहने वाला मोटरसाईकिल से अपने दो बाईक पर अपने दोस्तो के साथ आकर बदतमीजी करने लगा और कहने लगा में तुझे उठाकर ले जाऊंगा, और गंदी-गंदी गाली देने लगे और मुझेस कहने लगा वोगे बिटोरे के पीछे पकड़कर ले जाने लगा। प्रार्थनी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

केस दिनांक 23.04.2017 को 11.10 बजे पर पंजीकृत किया

गया।

मामले की विवेचना की गयी। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण कैलाश, रवि व संदीप के विरूद्ध धारा 354 ख/504/506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अभियुक्तगण ने अपनी-अपनी जमानत करायी।

अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान की गयी तथा अभियुक्तगण कैलाश, रवि व संदीप के विरुद्ध धारा 354 ख/504/506 भा०दं०सं० का आरोप लगाया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से चिक FIR, तहरीर वादी आरोप पत्र नक्शा-नजरी दाखिल किए गए तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू० 1 किरन पुत्री सोमवीर सिंह व पी०डब्लू० 2 चन्द्रमोहन पुत्र त्रिलोक को परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी साक्षी को परिक्षित नहीं कराया गया है।

अभियुक्तगण ने अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं.प्र.सं. स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर FIR, आरोप पत्र, नक्शा नजरी पर प्रदर्श डाले गये।

न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्षियों से अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त सन्देहों से परे साबित कर सका है।

अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 किरन पुत्री सोमवीर सिंह ने बताया कि ''घटना दिनांक 23.04.2017 की है। मैं डोमा टीकरी बस स्टैण्ड पर खड़ी थी। समय करीब 10 बजे सुबह का था। मेरे पति का केस चल रहा था और में कचहरी आने वाली थी। तभी कैलाश व उसके दोस्त रवि, संदीप आये इन्होंने बाईक रोकी और मुझसे बत्तजमीजी से बोलने लगे कि यहां यारो का इंतजार कर रही है। हमारे साथ चल तब मैंने कहा कि तुम्हारे घर में मां-बहन नहीं है जो तुम मेरे साथ में बत्तमीजी कर रहे हो। कैलाश ने मेरा हाथ

पकड़ा। कैलाश मेरा हाथ पकड़ कर बिटोरे के पीछे ले जाने लगा और उन दोंने ने पीछे से धक्का दिया मैंने शौर मचाया मेरे शूट भी फट गया था। वे मेरे दुप्पटा भी ले गये थे तथा मुझे धमकी दी कि यदि तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। कैलाश रवि व संदीप ने मेरे शरीर पर हाथ फेरे थे। जगह-जगह पर और मेरे शौर मचाने पर मेरे चाटा भी मारा था। फिर मैंने हाथ में काट लिया था। जब वो मेरा मुहँ भीच रहे थे तब काटा था। जब मैंने तेजी से शौर मचाया तो बिजेन्द्र व चन्द्रप्रकाश जो गेहू काट रहे थे आ रहे थे। इन्होंने भी शौर मचाया और मैंने भी शौर मचाया। तो मुल्जिमान बाईक लेकर भाग गये थे। मैं लगातार रो रही थी। तो उन्होंने मुजे समझाया तब मैं टोम्पो पकड़कर ताने चली गयी थी। मैंने अपने साथ हुई घनटा के संबंध में थाने पर रिपोर्ट लिखकर दी थी। पत्रावली पर संलग्न तहरीर को देखकर गवाह ने बताया कि यह वही तहरीर है जो मैंने थाने पर दी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। पीडिता का 164 सी०आर०पी०सी० का बयान न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिसे देखकर पीडिता ने बताया कि दिनांक 30.05.2017 को मेरा न्यायालय में बयान हुआ था। जिसमें मैंने बयान दिया था कि 23.04.2017 को मैं ..... मेरी उक्त लोगों से कोई दोस्ती नहीं है। यही मेरा बयान है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।''

जिरह में साक्षी ने बताया कि ''दिनांक 23.09.2017 को अपनी मां कलावती के साथ बस स्टैण्ड पर बस का इंतजार कर रही थी। तीन लड़के मोटरसाईकिल से आये। वहां वहां संदीप नाम के लड़के से कहा सुनी हो गयी। शौर शराबा सुनकर बहुत से रहागीर इकट्ठा हो गये थे। बीच बचाव व धक्का मुक्की में मेरे कपड़े फट गये थे। मेरे साथ कैलाश, रवि व संदीप ने गाली गलौच, जान से मारने की धमकी व किसी भी प्रकार की कोई छेड़ छाड़ नहीं की थी। इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाने में कुछ लोगों के कहे और बताने पर अनुसार लिखायी थी। हाजिर अदालत मुल्जिमानों को देखकर कहा कि ये लोग छेड़ छाड़, गाली गलौच व कपड़े फाड़ने वाली घटना में शामिल नहीं थे। मैंने

164 सी०आर०पी०सी० का बयान न्यायालय में पुलिस व परिजनों के दबाव में आकर लिखवाया था। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में मुल्जिमानों से मिल गयी हूँ और सही बात नहीं बता रही हूँ।''

साक्षी पी०डब्लू० 2 चन्दमोहन पुत्र त्रिलोक चंद ने बयान किया कि, ''आज से लगभग एक-ढेड़ साल पहले बस स्टैण्ड डोमा टीकरी पर एक लड़की व उसकी मां बस के इंतजार में खड़े थे। वहां पर अन्य सवारियां भी थी। एक व्यक्ति का लड़की को हाथ लगने के कारण लड़की ने शौर मचाया था। नाहीं उस लड़की का नाम पता जानता हूँ। हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर गवाह ने बताया कि यह वह व्यक्ति नहीं ह। जिनका हाथ लगने पर लड़की ने बस स्टैण्ड पर शौर मचाया था। हाजिर अदालत मुल्जिमान कैलाश, रवि व संदीप ने मेरे सामने किरन के साथ कोई छेड़छाड़ या कपड़े फाड़ने की कोई हरकत नहीं की थी।''

जिरह में साक्षी ने बताया कि, ''गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि दरोगा जी को मैंने कोई बयान नहीं दिया था। कैसे लिख लिया मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मेरे सामने हाजिर अदालत मुल्जिमान ने किरन के साथ अश्लील हरकत व कपड़े फाड़ने की कोई हरकत न की हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से मिल गया हूँ, इसलिये गलत बयान दे रहा हूँ।''

पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों का किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, परन्तु उपरोक्त साक्ष्य सम्पोषक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, जबकि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत मौलिक साक्ष्य से अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त सन्देहों से परे साबित करने में असफल रहा है। मात्र सम्पोषक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियुक्त के बयान अंतर्गत

धारा 313 दं. प्र. सं. अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने साक्षियों के बयान के बारे में कुछ नहीं कहा तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अपना मामला सभी युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर दोष मुक्त किये जाने के अधिकारी है।

आदेश

अभियुक्तगण **कैलाश, रवि व संदीप** को वाद संख्या 1813/2017, मु०अ०सं० 119/2017, अंतर्गत धारा 354 ख/504/506 भा०दं०सं० थाना धौलाना के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनको दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437 ए द०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील किया जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें एवं अभियुक्तगण इस आशय का 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करेंगे। यह बन्ध पत्र 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

दिनांक 28.11.2018

(साक्षी गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट-I
हापुड़

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 28.11.2018

(साक्षी गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट-I
हापुड़